कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांकः 326 / 98 / आउशि / अका. शा–5'अ' / 2014 भोपाल, दिनांकः 04 जून 2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय : स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑन–लाइन प्रावधिक प्रवेश के लिए दिशा निर्देश बाबत।

संदर्भ : विभागीय आदेश 220 / 83 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2014 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014

–0–

राज्य शासन द्वारा जारी संदर्भित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रवेश–नियम 2014–15 कंडिका 8.1 के अनुक्रम में स्नातक षष्ठ–सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(2) वार्षिक पद्धति से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में स्नातक द्वितीय वर्ष तक के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित होगा।

(3) शासकीय महाविद्यालयों के समस्त **सत्यापनकर्ता अधिकारियों (Verification Executives)** द्वारा कृपया उपरोक्तानुसार प्रावधिक प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य तदनुसार किया जावे।

(4) गतवर्ष के अनुसार केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन–पत्र के साथ प्रवेश लेगें जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम परिवर्तित होता है अथवा विद्यार्थी षष्ठ सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है जिससे प्रावधिक प्रवेशित छात्र / छात्रा नियमित प्रवेश से वंचित रहता / रहती है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा–परिणाम परिवर्तित होनें की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।

कृपया सुनिश्चित कर लें कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पूर्व प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी ने स्नातक स्तर के समस्त सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

संलग्नः वचन–पत्र

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

4.6.14
(डॉ. के.एम. जैन)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांकः 327 / 98 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2014, भोपाल, दिनांकः 04 जून, 2014

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

4.6.14
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश हेतु वचन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,

....

.... (महाविद्यालय का नाम)

....(शहर का नाम)

विषय : स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश हेतु वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे आपके महाविद्यालय में कक्षा .... सेमेस्टर .... विषय .... में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा सीट आवंटित की गई है। किन्तु आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक स्नातक षष्ट सेमेस्टर के परिणाम घोषित नहीं होने के कारण प्रथम से पंचम सेमेस्टर के प्रतिशत अंकों एवं गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश ले रहा हूँ/रही हूँ। परिणाम घोषित होने पर गुणानुक्रम में परिवर्तन होने से प्रावधिक प्रवेश के नियमित न होने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। वांछित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के संबंध मे केन्द्रीयकृत ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि परिणाम घोषित होते ही अपनी मूल अंक सूची महाविद्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

दिनांक :......................................

भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

ऑन लाइन पंजीयन क्रमांक ....